श्री अशोक गहलोत
मुख्यमंत्री, राजस्थान

हमारा प्रयास – सबको आवास

श्री शान्ति कुमार धारीवाल
मंत्री स्वायत्त् शासन
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग
राजस्थान

राजस्थान आवासन मण्डल

पटेल नगर एक्सटेंशन योजना, भीलवाड़ा

मण्डल कार्मिकों हेतु विशिष्ट पंजीकरण योजना वर्ष 2021

मध्यम आय वर्ग 'अ' व 'ब'
उच्च्च आय वर्ग के स्वतंत्र
आवास हेतु

योजना अवधि | 12.10.2021 से 11.11.2021 तक

हमारी खुशी का संसार

हमारा अपना घर

राजस्थान आवासन मण्डल

राजस्थान आवासन मण्डल

मण्डल कार्मिकों हेतु विशिष्ट पंजीकरण योजना वर्ष 2021

पटेल नगर एक्सटेंशन योजना, भीलवाड़ा

(पंजीकरण योजना–2021)

मध्यम आय वर्ग 'अ' के 26, मध्यम आय वर्ग 'ब' के 57, उच्च आय वर्ग के 56 स्वतंत्र आवासों हेतु आवेदन पत्र की बिक्री / प्राप्ति व वरियता निर्धारण का कार्यक्रम

कार्यक्रम

1. ऑनलाइन आवेदन–पत्र उपलब्ध : 12.10.2021
2. ऑनलाइन आवेदन–पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि : 11.11.2021
3. योग्य आवेदकों की वरीयता निर्धारण हेतु अस्थाई सूची प्रकाशन की तिथि एवं स्थान
4. अस्थाई सूची पर आक्षेप प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि
5. वरीयता निर्धारण हेतु योग्य आवेदकों की स्थाई सूची के प्रकाशन की तिथि एवं स्थान
6. वरीयता निर्धारण हेतु लॉटरी आयोजन की तिथि एवं स्थान

(3 से 6 हेतु:) **अन्तिम तिथि के पश्चात मण्डल की वेबसाईट www.urban.rajasthan.gov.in/rhb पर सार्वजनिक सूचना जारी की जावेगी।**

सम्पर्क सूत्र

उप आवासन आयुक्त राजस्थान आवासन मण्डल, वृत उदयपुर पारस तिराहा, सेक्टर 11 हिरण नगरी, उदयपुर मो. : 9983993914	आवासीय अभियन्ता सी – 289–290, आर.के. कॉलोनी राजस्थान आवासन मण्डल खण्ड भीलवाड़ा फोन : 9414103221	परियोजना अभियन्ता (व.) राजस्थान आवासन मण्डल, सी – 289–290, आर.के. कॉलोनी भीलवाड़ा मो. : 9772214577

विशेष :

1. आवेदन पत्र मण्डल की वेबसाइट www.urban.rajasthan.gov.in/rhb पर ऑनलाईन भरे जायेंगे इस हेतु आवेदन पत्र की कीमत रू 354/– में पंजीकरण राशि व प्रोसेसिंग शुल्क सम्मिलित कर सीधे ही अपने क्रेडिट/डेबिट कार्ड मार्फत जमा कराई जा सकती है या चालान प्रिंट कर बैंक निम्नलिखित बैंक में जमा कराया जा सकता है ।

Bank	:	Union Bank of India
A/c No.	:	373601010054593
IFSC Code	:	UBIN0537365
Branch	:	Bhilwara

ध्यान देने योग्य आवश्यक बिन्दु:

यह सुनिश्चित कर लें कि :–

1. आपके द्वारा जिस वर्ग में आवास हेतु आवेदन किया जा रहा है, उसके अनुसार पंजीकरण की पूर्ण राशि आवेदन करते समय फॉर्म के साथ जमा करानी होगी।

2. आवेदन पत्र के साथ संलग्न किये जाने वाले वांछित प्रपत्रों की सूची निम्नानुसार है–

    i. आय का प्रमाण पत्र।

    ii. पंजीकरण की पूर्ण राशि ऑनलाइन आवेदन करते समय फार्म के साथ जमा करानी होगी।

    iii. आवेदन पत्र पर आवेदनकर्ता की फोटो।

    iv. संबंधित वांछित प्रमाण पत्र।

    v. आवेदक को आवेदन पत्र के साथ स्वयं एवं निवास के पते का प्रमाण यथा– आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट, ड्राईविंग लाइसेन्स, राशन कार्ड, बिजली, पानी, टेलीफोन बिल, बैंक पास बुक अथवा अन्य कोई मान्य फोटोयुक्त दस्तावेजों में से (वांछित दस्तावेजों की) एक–एक स्व–हस्ताक्षरित/सत्यापित प्रति।

    vi. कोई अन्य सूचना, जो प्रपत्र में मांगी गई है।

राजस्थान आवासन मण्डल

मण्डल कार्मिकों हेतु विशिष्ट पंजीकरण योजना वर्ष 2021

पटेल नगर एक्सटेंशन योजना, भीलवाड़ा

मध्यम आय वर्ग 'अ' के 26, मध्यम आय वर्ग 'ब' के 57, उच्च आय वर्ग के 56 स्वतंत्र आवासों हेतु

योजना की प्रस्तावना :–

राजस्थान आवासन मण्डल का गठन राजस्थान सरकार द्वारा आवासन मण्डल अधिनियम – 4 वर्ष 1970 के अंतर्गत राज्य में आमजन को सुलभ आवास उपलब्ध कराने हेतु किया गया था। इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु मण्डल वैज्ञानिक ढंग से आवासीय कॉलोनियों का निर्माण कर स्वच्छ, स्वस्थ एवं उत्कृष्ट पर्यावरण में सभी आय वर्गों के लिए आवास उपलब्ध कराने के लिये कार्यरत है। मण्डल द्वारा सदैव यह प्रयास रहा है कि वह ऐसे आवास बनाये जो हवादार हों, आरामदायक हों व जिनमें पानी, बिजली जैसी समस्त मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति कर दी गई हों। मण्डल का यह भी प्रयास रहा है कि आवासों की कीमत तर्कसंगत हो व संबंधित आय वर्ग के आवेदक की भुगतान क्षमता में हो। इसी कड़ी में **मण्डलकार्मिकों** की आवास समस्या के निराकरण हेतु राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा भीलवाड़ा में मध्यम आय वर्ग 'अ' के 26, मध्यम आय वर्ग 'ब' के 57, उच्च आय वर्ग के 56 स्वतंत्र आवासों हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है।

पटेल नगर विस्तार पंजीकरण योजना में मध्यम आय वर्ग 'अ' के 26, मध्यम आय वर्ग 'ब' के 57, उच्च आय वर्ग के 56 लगभग 139 स्वतंत्र आवास निर्मित किये जाने प्रस्तावित है जिनका विवरण तालिका1 के अनुसार है।

तालिका – 1

आवासों का आय वर्ग, संख्या एवं अनुमानित लागत :–

क्र. सं.	आय वर्ग	अनुमानित संख्या	प्लॉट साईज (मीटर)	निर्मित क्षेत्र लगभग (वर्ग मीटर)	अनुमानित लागत (रू. लाख में)
1.	मध्यम आय वर्ग 'अ'	26	6.0 मीX 15.0मी	31.25 वर्ग मी	10.50 लाख
2.	मध्यम आय वर्ग 'ब'	57	9.0मी X18.0मी	36.79 वर्ग मी	16.00 लाख
3.	उच्च आय वर्ग	56	10.00मी. X 20.0मी	50.962 वर्ग मी	22.75 लाख

नोट :

(i) आवासों की अनुमानित संख्या में नियोजन अनुसार परिवर्तन किया जा सकता है।

(ii) उक्त तालिका में आवासों की केवल अनुमानित लागत बताई जा रही है। अतः मण्डल द्वारा आवास आवंटन के समय अन्तिम रूप से निर्धारित लागत ही मान्य होगी व इस हेतु आवंटी का कोई आक्षेप/विवाद मान्य नहीं होगा।

आवासीय योजना की विशेषताऐं :–

यह आवासीय योजना मण्डल की पटेल नगर एक्सटेन्सन योजना, भीलवाड़ा शहर के मध्य में स्थित है, इस आवासीय योजना की प्रमुख स्थलों से लगभग दूरी निम्नानुसार है :–

1. रेलवे स्टेशन	6 कि.मी.
2. बस स्टेण्ड	8 किमी.

पंजीकरण की पात्रता एवं अन्य शर्ते :–

आवासों का आवंटन राजस्थान आवासन मण्डल के सम्पत्ति निस्तारण विनियम, 1970 के अन्तर्गत तथा इस संबंध में समय समय पर जारी नियमों, उपनियमों एवं उपबंधों/परिपत्रों के अधीन निम्नानुसार किया जावेगा:–

1. (अ) आवेदक के पास आयकर अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत जारी स्थायी खाता संख्या PAN होना चाहिए एवं आवेदन पत्र में निर्धारित स्थान पर उसका उल्लेख किया जाना चाहिए। (जहां लागू हो)

   (ब) आवेदक के पास भारतीय विशिष्ट पहचान पत्र "आधार कार्ड' (यू.आई.डी.) के नम्बर है तो आवेदन पत्र में निर्धारित स्थान पर उल्लेखित किये जाने चाहिए।(यदि प्राप्त कर लिये हो)

2. इस योजना में निर्धारित आय वर्ग से दो आय वर्ग ऊपर अथवा दो आय वर्ग नीचे के आवेदक भी मण्डल नियमानुसार आवेदन कर सकेंगे।

3. जो मण्डल कार्मिक/अधिकारी प्रथम बार मण्डल में आवास आवंटन बाबत आवेदन–पत्र प्रस्तुत कर रहे है उन्हें प्रथम वरीयता प्रदान की जायेगी (जिन्हें मण्डल द्वारा अभी तक आवास आवंटन नहीं हुआ है) और साथ ही कार्मिकों/अधिकारियों को यह भी विकल्प प्रस्तुत करना है कि उन्हें प्रथम आवास के लिए वरियता/आवंटन किस शहर में किया जावे।

4. जिन मण्डल कार्मिको को शहर विशेष अर्थात भीलवाड़ा में आवास आवंटन नहीं हुआ है परन्तु पूर्व में किसी अन्य शहर की योजना में आवास आवंटन किया जा चुका है उन्हें द्वितीय वरीयता प्रदान की जायेगी।

5. इस योजना में तालिका 1 में दर्शाये गये आवास हेतु आवेदक की वार्षिक आय एवं पंजीकरण राशि निम्नानुसार होगी। जिसका विवरण निम्नांकित सारणी के अनुसार है।

तालिका नं. - 2

क्र. सं.	आय वर्ग	वार्षिक आय (रूपये में)	पंजीकरण राशि (रूपये में)	प्रोसेसिंग फीस (रूपये में)	कुल जमा योग्य राशि (रूपये में)
1.	मध्यम आय वर्ग 'अ'	6,00,000 से 12,00,000 तक	50,000+5 प्रतिशत जीएसटी 52,500	1000+18 प्रतिशत जीएसटी 1180	53,680
2.	मध्यम आय वर्ग 'ब'	12,00001 से 18,00000 तक	80,000+5 प्रतिशत जीएसटी 84,000	1500+18 प्रतिशत जीएसटी 1770	85,770
3.	उच्च आय वर्ग	18,00001 एवं अधिक	1,20,000+5 प्रतिशत जीएसटी 1,26,000	2000+18 प्रतिशत जीएसटी 2360	1,28,360

नोट – आवेदन शुल्क रू. 300/- + 18% GST कुल राशि 354/– कुल जमा योग्य राशि के साथ जमा करावें।

6. अनुसूचित जाति/जनजाति के आवेदक उपरोक्तानुसार निर्धारित पंजीकरण राशि की आधी राशि जमा करा सकते हैं।

7. राजस्थान आवासन मण्डल की आवासीय योजनाओं में विभिन्न आय वर्ग के आवेदक के पंजीकरण हेतु राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा किये जाने वाले प्रशासनिक व्यय के दृष्टिगत नवीन पंजीकरण की प्रोसेसिंग फीस समस्त आय वर्ग के आवेदक हेतु तालिका के अनुसार राशि देय होगी एवं उपराक्त देय प्रोसेसिंग फीस का किसी भी आवेदक को पुर्नःभुगतान/समायोजन नहीं किया जायेगा।

8. इस योजना में कुल प्राप्त आवेदन पत्रों में से वर्गानुसार विकल्पानुसार उपलब्ध आवासों की संख्या के बराबर सफल आवेदकों की लॉटरी द्वारा वरीयता निर्धारित कर दी जायेगी। लॉटरी के बाद शेष असफल रहे आवेदकों को उनकी जमा पंजीकरण राशि (बिना ब्याज) आवेदन पत्र में अंकित बैंक खाता संख्या में लौटा दी जायेगी।

9. पंजीकरण नगद भुगतान/किराया क्रय पद्धति दोनों में कराया जा सकता है। किराया क्रय पद्धति में 156 सममासिक किश्तों में भुगतान करना होगा। किश्तों की राशि पर जीएसटी प्रथक रूप से नियमानुसार देय होगा।

10. आवास आवंटन से पूर्व आवेदको को अपने आयवर्ग के अनुसार आवास आरक्षित करने हेतु पूर्वग्रहण राशि तीन किश्तों में जमा करानी होती है। प्रथम किश्त पूर्वग्रहण

राशिपत्र जारी होने की तारीख से एक माह के अन्दर एवं दूसरी किश्त उसी पत्र के जारी होने की तारीख से 4 माह के अन्दर तथा तीसरी किश्त का भुगतान उसी पत्र के जारी होने की तारीख से 7 माह के अन्दर या आवास आवंटन के समय जो भी पहले हो जमा करानी होगी

तालिका नं. - 3

क्र. सं.	आय वर्ग	पूर्वग्रहण राशि किश्त रुपये में			
		प्रथम	द्वितीय	तृतीय	योग
1.	मध्यम आय वर्ग 'अ'	40,000 रूपये	30,000 रूपये	30,000 रूपये	1,00,000 रूपये
2.	मध्यम आय वर्ग 'ब'	70,000 रूपये	70,000 रूपये	60,000 रूपये	2,00,000 रूपये
3.	उच्च आय वर्ग	1,00,000 रूपये	1,00,000 रूपये	1,00,000 रूपये	3,00,000 रूपये

11. पूर्वग्रहण राशि पत्र के अनुसार प्राप्त की जाने वाली किश्त की राशि पर नियमानुसार जीएसटी की राशि अलग से देय होगी।

12. **रिफण्ड**

(i) आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात तथा वरीयता लॉटरी के आयोजन से पूर्व यदि कोई आवेदक योजना के तहत जमा कराई गई पंजीकरण राशि लौटाने का निवेदन करता है तो उसे पंजीकरण राशि में से कोई कटौती नहीं करते हुए पंजीकरण राशि बिना ब्याज के लौटा दी जावेगी।

(ii) राजस्थान आवासन मण्डल की 243वीं बैठक दिनांक 21.9.2020 के विचार बिन्दु संख्या 243.43 के निर्णय अनुसार सफल आवेदक घोषित होने के पश्चात कब्जाराशि जमा कराने के पूर्व यदि आवेदक जमा राशि का रिफण्ड चाहता है तो आय वर्ग श्रेणी में अनुमानित लागत का अधिकतम 10 प्रतिशत तक मय जीएसटी कटौति का निर्णय लिया गया है।

13. आवास आवंटन लॉटरी के कार्यक्रम की घोषणा समाचार पत्रों के माध्यम से की जायेगी। इसमें आवेदक द्वारा आरक्षण राशि की देय किश्तें जमा करवाकर चालान की प्रतियां कार्यक्रम की निर्धारित अवधि में कार्यालय में प्रस्तुत करने वाले आवेदकों को वरीयता क्रमानुसार आवंटन लाटरी में सम्मिलित किया जायेगा।

14. मण्डल के वर्तमान प्रावधानों के अनुरूप आवास के आवंटन पत्र में वर्णित अन्य विविध खर्चे देय होंगे जिनका आवास के लागत (विक्रय मूल्य) में समावेश नहीं किया गया है, एसे खर्चे निम्नप्रकार होंगे –

(क) लीज राशि – यह राशि भूमि की कुल कीमत पर 2.5 प्रतिशत वार्षिक की दर से वसूलनीय होगी।

(ख) किराया क्रय अग्रिम जमा राशि – यह राशि जो कि आवास की कुल कीमत का 5 प्रतिशत है, मण्डल के पास धरोहर के रूप में जमा रहेगी और आवंटी द्वारा विभिन्न बकाया राशि समय पर जमा न कराने की दशा में जब्त की जा सकती यह राशि किरायाक्रय अवधि के संतोषप्रद रूप से पूर्ण हो जाने पर समायोजित या लौटा दी जायेगी।

(ग) अन्य खर्चे :

(1) निर्दिष्ट क्षेत्रफल से अधिक अतिरिक्त भूमि व कॉर्नर आवासों के लिए 242वीं बोर्ड बैठक में अतिरिक्त भूमि का भी आवंटन पत्र की दर से लिये जाने का प्रावधान किया है नियमानुसार अतिरिक्त राशि वसूल की जायेगी।

(2) अन्य विविध खर्चे जो कि मण्डल समय–समय पर निर्धारित करें।

15. मंडल के आवास केवल रिहायशी प्रयोजन हेतु उपयोग में लिये जावेंगे। आवास में आवंटी किसी प्रकार का वाणिज्यिक निर्माण नहीं करा सकेगा और न ही वाणिज्यिक उपयोग करेगा। इस प्रावधान का उल्लंघन करने पर आवास का आवंटन निरस्त किया जा सकेगा।

16. सम्पत्ति निस्तारण विनियम, 1970 के नियम संख्या 17 व 18 में अभिकथित संबंधित विभागों द्वारा मांग किये जाने पर आवंटी को संपत्ति पर समस्त करों का भुगतान करना होगा, जैसे– आवास सम्पत्ति कर, नगर निगम कर, विकास कर इत्यादि। इसके अतिरिक्त योजना के निवासियों की पंजीकृत सोसायटी द्वारा निर्धारित नियम व शर्तों की पालना करनी होगी, साथ ही सोसायटी द्वारा निर्धारित सदस्यता शुल्क व अन्य शुल्क आवंटी को वहन करने होंगे।

17. यदि आवेदक, शपथ पत्र/आवेदन पत्र में कोई गलत सूचना देता है या कोई तथ्य छिपाता है तो उसका पंजीकरण तुरन्त रद्द कर दिया जावेगा। यदि आवास का आवंटन हो गया हो तो भी मंडल ऐसे आवंटन को रद्द करने तथा आवास का कब्जा वापस लेने के लिए सक्षम होगा। आवेदक की जमा राशियों में से नियमानुसार कटौती करते हुए शेष राशि बिना ब्याज के लौटा दी जायेगी।

18. किसी नुकसान के होने से या वस्तुओं के चोरी चले जाने से बचने की दृष्टि से, निम्नांकित फिटिंग/फिक्सचर आदि का कार्य आवासन मंडल द्वारा आवंटी को कब्जा देने की वास्तविक तारीख से एक माह के भीतर पूर्ण कर दिया जायेगा :-

    1. विद्युत/फिटिंग/फिक्सचर
    2. सेनेटरी फिटिंग
    3. अंतिम पुताई यदि कब्जा देने से पूर्व नहीं की गई हो।

19. आवासन मंडल अपनी योजनाओं/आवासों में परिवर्तन/परिवर्द्धन कर सकता है व परिणामस्वरूप यदि कोई अतिरिक्त कार्य करवाया जाता है तो ऐसा व्यय आवंटी को वहन करना होगा। विशेष परिस्थितियां उत्पन्न होने पर मण्डल योजना में प्रस्तावित सेक्टरों के स्थान पर अन्य सेक्टरों में आवास उपलब्ध कराने का निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होगा तथा इस विषय में आवंटी का कोई विवाद स्वीकार्य नहीं होगा।

20. योजना को पूर्ण एवं आंशिक रूप से निरस्त करने का अधिकार मण्डल के पास सुरक्षित रहेगा।

21. पंजीकरण/आरक्षण/आवंटन मण्डल द्वारा बनाये गये नियमों/आदेशों/उपबंधों/परिपत्रों के तहत होगा। मंडल अपने द्वारा बनाये गये नियमों, आदेशों तथा परिपत्रों को बनाने/परिवर्तन करने के लिए पूर्णतः सक्षम/अधिकृत होगा और ये पंजीकृत आवेदकों के लिए पूर्णतया लागू होंगे।

22. सम्पत्ति निस्तारण विनियम, 1970 के नियम 19 के अनुसार यह स्पष्ट किया जाता है कि आवंटी को स्वयं सम्पत्ति की परिस्थितियों से पूर्णतः परिचित होना चाहिये और बाद में किसी आगामी Stage पर सम्पत्ति की परिस्थितियों के संबंध में शिकायत करने, आपत्ति उठाने या मांग करने का अधिकार नहीं होगा।

23. (अ) आवेदक अपने पत्राचार के पते में परिवर्तन की सूचना संबंधित आवासीय अभियन्ता, राजस्थान आवासन मण्डल, भीलवाड़ा कार्यालय के पते पर देवें। पते में परिवर्तन की सूचना नही देने के कारण अथवा आवेदक की गलती से पत्र आवेदक को प्राप्त नहीं होने की दशा में

मण्डल द्वारा कोई आपत्ति स्वीकार नही की जावेगी। पता परिवर्तन कराते समय वांछित दस्तावेजों की छायाप्रतियों के साथ पूर्ण वरीयता क्रमांक अवश्य लिखें। आवासन मण्डल द्वारा पता परिवर्तन की स्वीकारोक्ति के पश्चात ही पता परिवर्तन मान्य होगा। अतः आवेदक को परामर्श है कि इस संबंध में आवासन मण्डल से सूचना प्राप्त नहीं होने की स्थिति में संबंधित कार्यालय से पता परिवर्तन किए जाने की जानकारी प्राप्त कर लेवें।

(ब) आवेदक द्वारा ऐसे स्थान जहां सामान्यजन का प्रवेश वर्जित हो, का पता अंकित करने की स्थिति में मण्डल द्वारा जारी पत्राचार प्राप्ति में होने वाले विलम्ब अथवा पत्राचार प्राप्त नहीं होने के लिए मण्डल उत्तरदायी नहीं होगा। ऐसी स्थिति में आवेदकों को परामर्श है कि वह समय–समय पर मण्डल के संबंधित कार्यालय में सम्पर्क करते रहें तथा समाचार पत्रों व मण्डल की वेबसाईट **www.urban.rajasthan.gov.in/rhb** के द्वारा भी जानकारी प्राप्त कर लेवें।

24. वित्तीय सुविधायें : आवासन मण्डल से आवास लेने वाले आवेदक/आवंटी वित्तीय संस्थाओं से ऋण ले सकते हैं। इस बाबत् आवासन मण्डल द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र/त्रिपक्षीय अनुबंध पत्र जारी किए जाएंगे।

25. आवेदक को आवेदन पत्र के साथ स्वयं एवं निवास के पते का प्रमाण यथा– आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट, ड्राईविंग लाइसेन्स, राशन कार्ड, बिजली, पानी, टेलीफोन बिल, बैंक पासबुक अथवा अन्य कोई मान्य फोटोयुक्त दस्तावेज में से (वांछित दस्तावेजों की) एक–एक स्व–हस्ताक्षरित/ सत्यापित प्रति संलग्न करना होगा।

26. आवेदन पत्र के कॉलम संख्या 8 में आवेदक द्वारा केवल पत्र व्यवहार का पता अंकित किया जाए तथा आवेदन पत्र पर केवल उसी व्यक्ति के हस्ताक्षर होने चाहिए, जो इस योजना के अन्तर्गत आवास लेना चाहता है।

27. मण्डल द्वारा आवेदन पत्र स्वीकार करते समय समस्त आवेदकों की पात्रता की जांच किया जाना सम्भव नहीं है। अतः मिथ्या कथन, तथ्यो को छुपाने अथवा कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर कालान्तर में यदि आवेदक पंजीकरण हेतु अपात्र पाया जाता है, तो उस आवेदक का पंजीकरण आवेदन/आवंटन तथा उसके क्रम में की गई समस्त कार्यवाही, बिना कोई कारण बताओं नोटिस जारी किये शून्य घोषित कर दी जावेगी तथा मण्डल के प्रचलित नियमों अनुसार कटौती करते हुए शेष राशि लौटा दी जायेगी।

28. मण्डल द्वारा समय समय पर मांगे गये शपथ पत्र/वचनबद्धता/अन्य आवेदन/अन्य प्रपत्र इत्यादि स्व हस्ताक्षरित हो एंव आवेदक द्वारा उन पर अपना नवीनतम फोटो चस्पा करते हुए उन्हें नियमानुसार राजपत्रित अधिकारी/नोटरी पब्लिक से सत्यापित कर प्रस्तुत करना होगा।

महत्वपूर्ण बिंदु

i अनुसूचित जाति अथवा जनजाति के आवेदकों को आरक्षित श्रेणी तथा पंजीकरण राशि में छूट का लाभ लेने हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

ii आवेदन पत्र में उत्तराधिकारी का मनोनयन पति/पत्नी, माता/पिता, भाई/बहिन, पुत्र/पुत्री, पौत्र/पौत्री एवं पुत्रवधु में से ही किया जा सकेगा।

iii इस योजना के अन्तर्गत पंजीकृत आवेदक अन्य योजना व शहर में स्थानान्तरण नहीं करवा सकेंगे।

iv आवास आवंटन/कब्जे के बाद आवास का रख–रखाव स्वयं आवंटी द्वारा किया जायेगा।

v योजना के तहत कोई भी न्यायिक विवाद भीलवाड़ा शहर की सीमा के अन्तर्गत ही होंगे।

vi आवासन मण्डल की इस योजना में राजस्थान आवासन मण्डल के सम्पत्ति निष्पादन विनियम 1970 के प्रावधान मान्य होंगे।

vii लॉटरी से जो भी आवास आवंटित होगा उसे परिवर्तित नहीं किया जायेगा।

viii आवेदन पत्र पुस्तिका (बुकलेट) का राजस्थान आवासन मण्डल की वेबसाइट www.urban.rajasthan.gov.in/rhb पर अवलोकन किया जा सकता है।

viiii योजना में एक व्यक्ति का स्वतन्त्र अथवा संयुक्त रूप से केवल एक ही आवेदन स्वीकार्य होगा

GENERAL SPECIFICATION OF CONSTRUCTION

1 R.R. Stone Masonry for Foundation/Plinth in CM-1:6

2 R.C.C. work in slab, plinth/lintel band.

3. Brick Masonry in superstructure in cement sand mortar. (1:6)

4. Plaster in Cement sand mortar. (1:6)

5. Vitrified tiles Flooring/ Matt Finish Tiles flooring.

6. T-iron Door Frames/ Steel Section Window and ventilator.

7. Flush door shutters with steel fittings.

8. Inside Distemper and Outside Water Proofing cement paint.

9. White cement base putty over plaster surface.

10. Concealed PVC conduits with flexible copper wire MCBS.

11. Internal sanitary fittings with UPVC, CPVC pipes.

आवेदक का फोटो

सभी आवेदकों के लिए

शपथ पत्र

मैं .... पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री .... आयु.....................वर्ष जाति.............................. निवासी ....

एतद्द्वारा सशपथ घोषणा करता/करती हूँ कि:–

1. मैं भारत का/की नागरिक हूं।
2. मुझे मण्डल द्वारा आज दिनांक तक मण्डल की किसी भी योजना में आवास आवंटित नही हुआ है।

अथवा

(i.) मुझे मण्डल की योजना .... में आवा संख्या .... आवंटित हुआ है।

(ii.) मुझे मण्डल की योजना .... में आवास संख्या .... आवंटित हुआ है।

3. यह कि मेरा आवेदन स्वीकार होने पर मैं आवासन मण्डल द्वारा समय–समय पर मांग की गई राशियां जमा नहीं करता हूं तो आवासन मण्डल बिना किसी सूचना के मेरा पंजीकरण/आवंटन निरस्त करने के लिए स्वतंत्र होगा, जिसके लिए मैं स्वयं जिम्मेवार रहूंगा।
4. यह कि मेरे द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त कथन तथा आवेदन पत्र में दिये गये सभी तथ्यों में कोई मिथ्या कथन नहीं किया गया है तथा ना ही कोई तथ्य छिपाया गया है, ना ही किसी प्रकार का छल या कपट किया गया है। भविष्य में ऐसी कोई बात मण्डल के संज्ञान में आती है। तो आवेदन पत्र / आवंटन पत्र को निरस्त करने के साथ मेरे विरूद्ध कानूनी कार्यवाही करने के लिए मण्डल स्वतंत्र होगा।

हस्ताक्षर शपथ गृहिता

सत्यनिष्ठा

मैं .... पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ....

निवासी .... सत्यनिष्ठा से घोषणा करता/करती हूँ कि उपरोक्त पेरा 1 से 4 में जो तथ्य प्रस्तुत किये गये हैं, वे मेरी निजी जानकारी में पूर्णतया सत्य है, मैंने कोई भी तथ्य छिपाया नहीं है।

शपथ गृहिता

हस्ताक्षर/निशानी अंगूठा

(शपथ पत्र 50/– रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर होना चाहिए तथा हस्ताक्षर नोटेरी पब्लिक अथवा प्रथम श्रेणी दण्डनायक/कार्यपालक दण्डनायक द्वारा प्रमाणित होना चाहिए)

वेतनभोगी आवेदकों के लिए

आय प्रमाण–पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती.. पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ....इस विभाग/ उपक्रम/ कम्पनी/ संस्था (विभाग/संस्था का नाम) .... में.. पद पर कार्यरत हैं एवं ये (केन्द्र/राजस्थान सरकार अथवा केन्द्र/राजस्थान सरकार के उपक्रम/प्राईवेट सेक्टर के) नियमित कर्मचारी हैं। इनकी 2020-21 की सकल वार्षिक आय रुपये ....थी।

क्रमांक/दिनांक ....

विभागाध्यक्ष
के हस्ताक्षर मय मोहर
विभाग/उपक्रम/प्राईवेट सेक्टर का नाम

अनुसूचित जाति/जनजाति के आवेदकों हेतु प्रमाण–पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/... पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री .... निवासी .... जिला ....संभाग..............................राज्य ....जाति ....के सदस्य हैं जो अनुसूचित जाति/जनजाति (सूची) संशोधन अधिनियम 1956 के अन्तर्गत अनुसूचित जाति/जनजाति में है।

हस्ताक्षर

तहसीलदार
(कार्यालय की मोहर सहित)

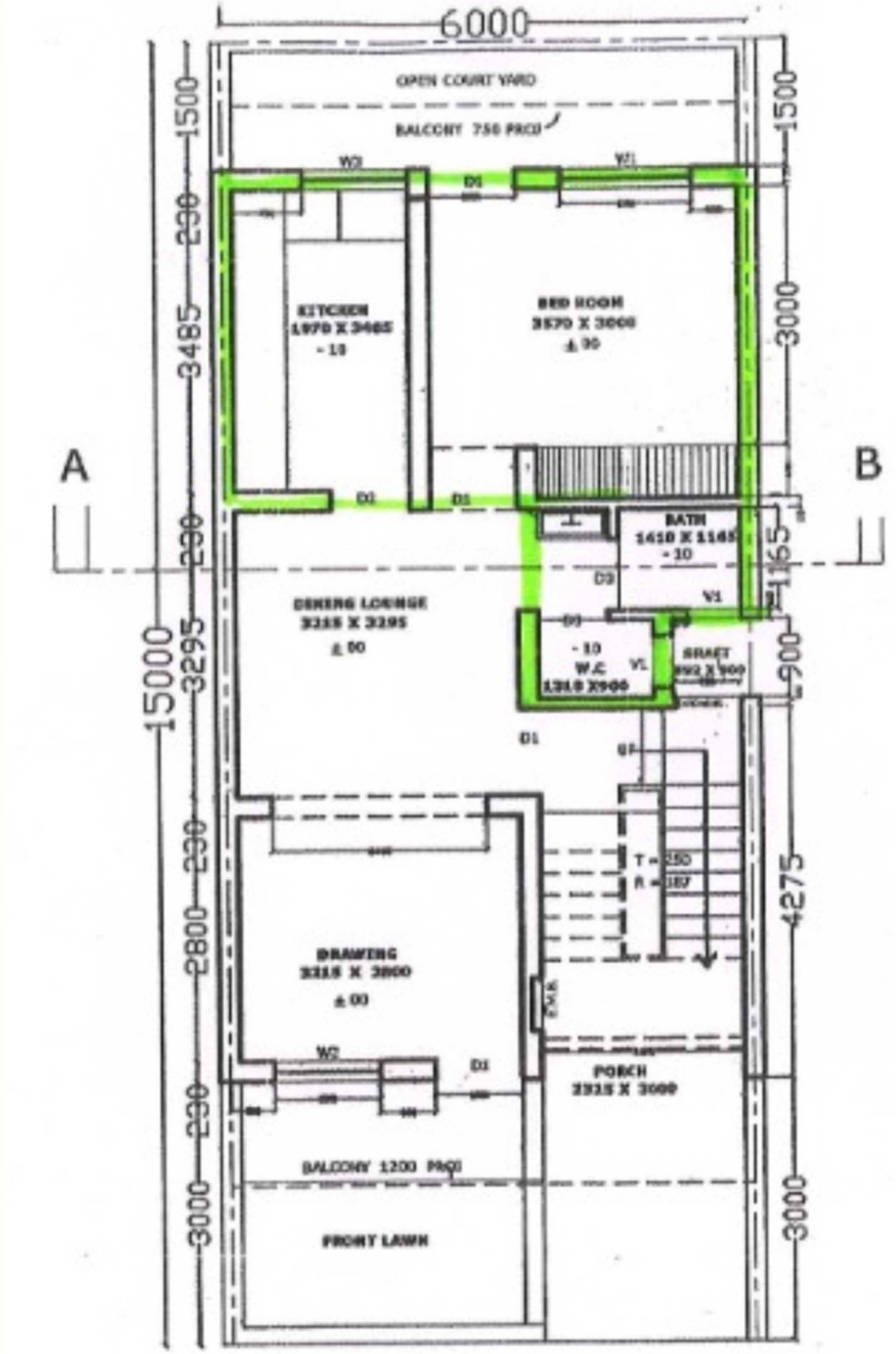

MIG-A House (Plinth Area 31.25 Sq. Mtrs.)

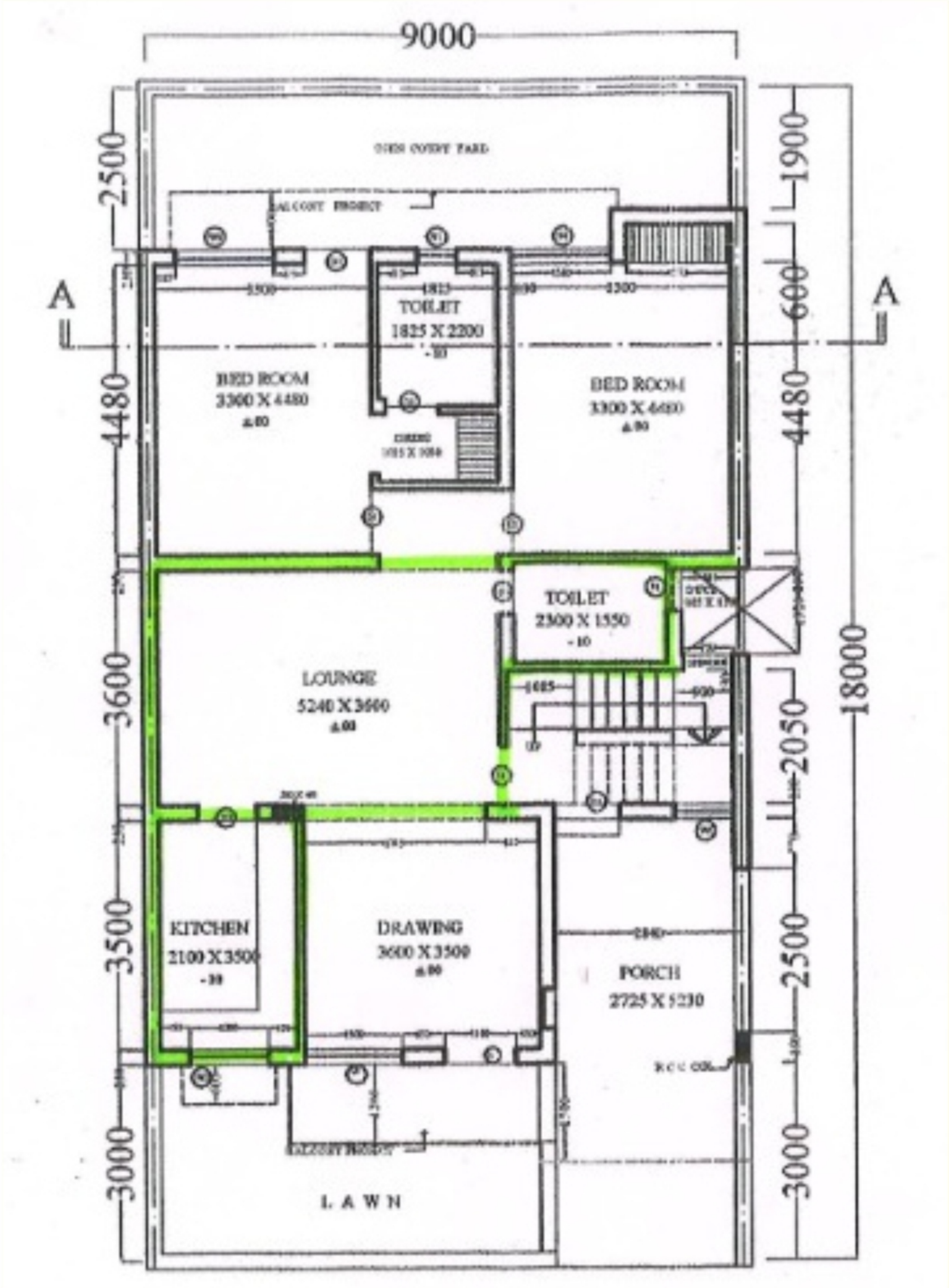

MIG-B House (Plinth Area 36.79 Sq. Mtrs.)

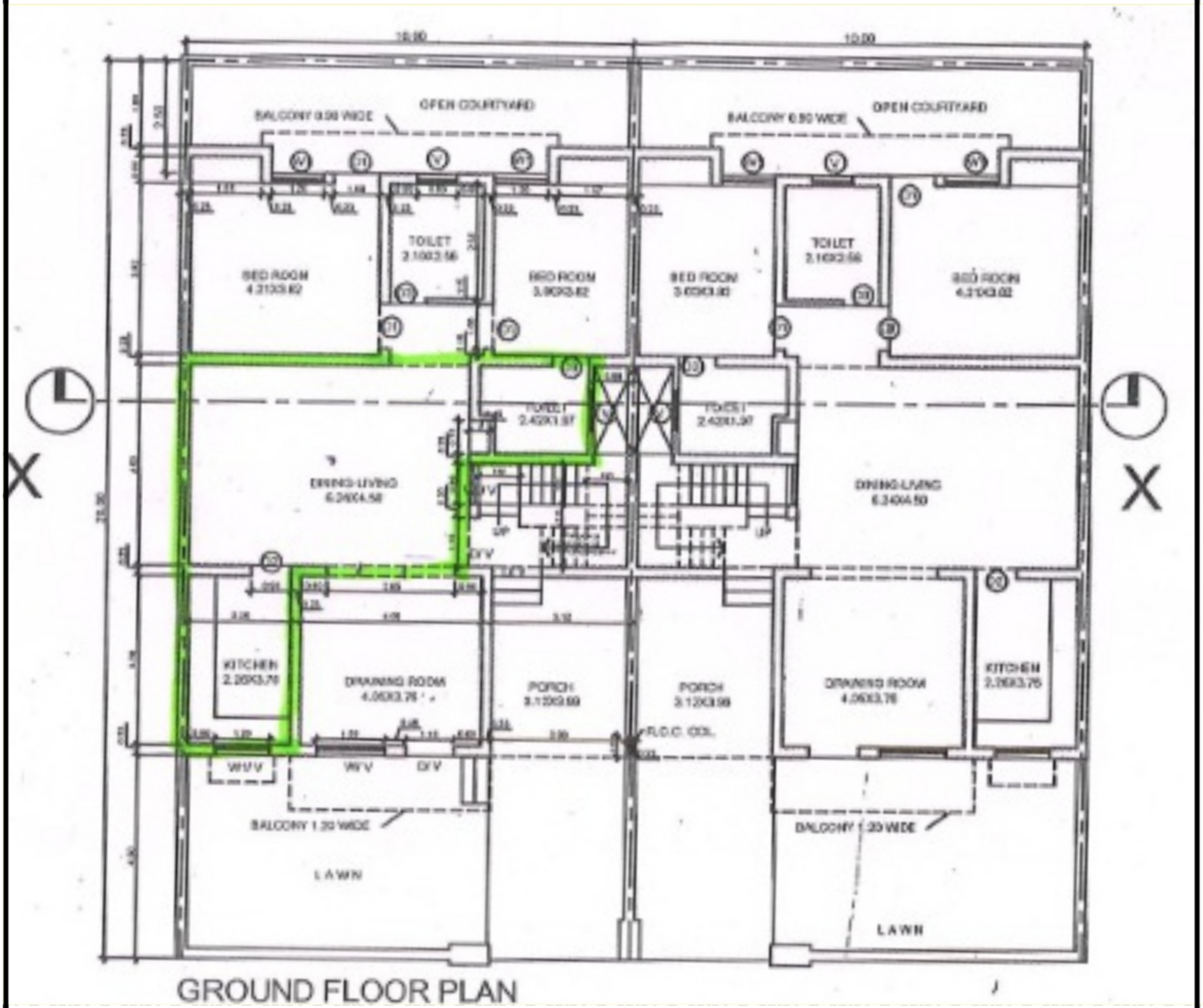

HIG House (Plinth Area 50.962 Sq. Mtrs.)

आवेदक द्वारा भरा जावे

आवेदन पत्र/चालान क्रमांक ....

राजस्थान आवासन मण्डल

मण्डल कार्मिकों हेतु विशिष्ट पंजीकरण योजना वर्ष 2021

पटेल नगर एक्सटेंशन योजना, भीलवाड़ा

(पंजीकरण योजना–2021)

मध्यम आय वर्ग 'अ' के 26, मध्यम आय वर्ग 'ब' के 57, उच्च आय वर्ग के 56 स्वतंत्र आवासों हेतु

क्र. सं.	आवेदन पत्र पूर्ण करने के पश्चात् आवेदक द्वारा चैक किए जाने वाले बिन्दु			आवेदन प्राप्त होने के पश्चात् कार्यालय द्वारा चैक किए गए बिन्दु	
1.	क्या आवेदक का नाम / पिता का नाम अंकित है?	हॉ/नहीं		हॉ/नहीं	
2.	**क्या आवेदक द्वारा अपना हाल ही में खिंचवाया गया फोटो** यथास्थान चिपकाया है?	**हॉ/नहीं**		**हॉ/नहीं**	
3.	क्या आवेदक के फोटो पहचान–पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि संलग्न है (आवेदन पत्र में दिए विवरणानुसार)	हॉ/नहीं		हॉ/नहीं	
4.	क्या आवेदक के पते के प्रमाण– स्वरूप दस्तावेज संलग्न है (आवेदन पत्र में दिए विवरणानुसार) ?	हॉ/नहीं		हॉ/नहीं	
5.	क्या आवेदक द्वारा आवेदन पत्र के विवरणानुसार पेनकार्ड की प्रति संलग्न की है?	हॉ/नहीं		हॉ/नहीं	
6.	**क्या आय वर्ग आवेदक की आय के अनुसार सही दर्शाया गया है?**	**हॉ/नहीं**		**हॉ/नहीं**	
7.	क्या आय वर्ग प्रमाण पत्र संलग्न किया है?	हॉ/नहीं		हॉ/नहीं	
8.	क्या आवेदक आरक्षित आय वर्ग में आता है?	हॉ/नहीं		हॉ/नहीं	
9.	क्या आरक्षित वर्ग के लिए प्रमाण पत्र संलग्न है?	हॉ/नहीं		हॉ/नहीं	
10.	क्या पंजीकरण राशि जमा है?	हॉ/नहीं		हॉ/नहीं	
11.	क्या पंजीकरण राशि आय वर्ग के अनुसार सही है?	हॉ/नहीं		हॉ/नहीं	
12.	क्या वांछित राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट संलग्न है?	हॉ/नहीं		हॉ/नहीं	

आवेदक के हस्ताक्षर

कार्यालय उपयोग हेतु

1. आवेदन पत्र का परीक्षण किया गया एवं आवेदक द्वारा उपरोक्तानुसार विवरण सही पाया गया।
2. आवेदक का ग्रुप है –सामान्य /अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/विकलांग/पुरस्कृत /पदक
3. आवेदक द्वारा दिए गए विवरण के अनुसार आवेदन पत्र योग्य / अयोग्य पाया गया।
4. अन्य टिप्पणी..

क.सहायक/सहायक   कार्यालय अधीक्षक   स.आवासन अधिकारी/सम्पदा प्रबन्धक

चालान संख्या

राजस्थान आवासन मण्डल

कार्यालय : आवासीय अभियन्ता, भीलवाड़ा

मण्डल कार्मिकों हेतु विशिष्ट पंजीकरण योजना वर्ष 2021

पटेल नगर एक्सटेंशन योजना, भीलवाड़ा

(पंजीकरण योजना–2021)

मध्यम आय वर्ग 'अ' के 26, मध्यम आय वर्ग 'ब' के 57, उच्च आय वर्ग के 56 स्वतंत्र आवासों हेतु आवेदन पत्र

<u>प्रथम प्रति</u> (बैंक उपयोग हेतु)

1. आवेदक / आवेदिका का नाम ____________________

2. पत्र व्यवहार का पता ____________________

____

3. भुगतान पद्धति : नकद / किराया क्रय ____________________

4. आय वर्ग ____________________

5. बैंक डीडी नं.. ____________________

बैंक का नाम : ____________________

दिनांक ____________________

6. पंजीकरण राशि (अंको में) ____________________

(शब्दों में) ____________________

____

दिनांक :..................................

स्थान :..................................

आवेदक के हस्ताक्षर

चालान संख्या

राजस्थान आवासन मण्डल

कार्यालय : आवासीय अभियन्ता, भीलवाड़ा

मण्डल कार्मिकों हेतु विशिष्ट पंजीकरण योजना वर्ष 2021

पटेल नगर एक्सटेंशन योजना, भीलवाड़ा

(पंजीकरण योजना–2021)

मध्यम आय वर्ग 'अ' के 26, मध्यम आय वर्ग 'ब' के 57, उच्च आय वर्ग के 56 स्वतंत्र आवासों हेतु आवेदन पत्र

<u>द्वितीय प्रति</u> (आवेदन पत्र के साथ कार्यालय उपयोग हेतु)

1. आवेदक / आवेदिका का नाम ____________________

2. पत्र व्यवहार का पता ____________________

____

3. भुगतान पद्धति : नकद / किराया क्रय ____________________

4. आय वर्ग ____________________

5. बैंक डीडी नं.. ____________________

बैंक का नाम : ____________________

दिनांक ____________________

6. पंजीकरण राशि (अंको में) ____________________

(शब्दों में) ____________________

____

दिनांक :..................................

स्थान :..................................

आवेदक के हस्ताक्षर

चालान संख्या

राजस्थान आवासन मण्डल

कार्यालय : आवासीय अभियन्ता, भीलवाड़ा

मण्डल कार्मिकों हेतु विशिष्ट पंजीकरण योजना वर्ष 2021

पटेल नगर एक्सटेंशन योजना, भीलवाड़ा

(पंजीकरण योजना–2021)

मध्यम आय वर्ग 'अ' के 26, मध्यम आय वर्ग 'ब' के 57, उच्च आय वर्ग के 56 स्वतंत्र आवासों हेतु आवेदन पत्र

<u>तृतीय प्रति</u> (कार्यालय में पत्रावली हेतु)

1. आवेदक / आवेदिका का नाम ____________________

2. पत्र व्यवहार का पता ____________________

____

3. भुगतान पद्धति : नकद / किराया क्रय ____________________

4. आय वर्ग ____________________

5. बैंक डीडी नं.. ____________________

बैंक का नाम : ____________________

दिनांक ____________________

6. पंजीकरण राशि (अंको में) ____________________

(शब्दों में) ____________________

____

दिनांक :..................................

स्थान :..................................

आवेदक के हस्ताक्षर

चालान संख्या

राजस्थान आवासन मण्डल

कार्यालय : आवासीय अभियन्ता, भीलवाड़ा

मण्डल कार्मिकों हेतु विशिष्ट पंजीकरण योजना वर्ष 2021

पटेल नगर एक्सटेंशन योजना, भीलवाड़ा

(पंजीकरण योजना–2021)

मध्यम आय वर्ग 'अ' के 26, मध्यम आय वर्ग 'ब' के 57, उच्च आय वर्ग के 56 स्वतंत्र आवासों हेतु आवेदन पत्र

<u>चतुर्थ प्रति</u> (आवेदक की प्रति)

1. आवेदक / आवेदिका का नाम ____________________

2. पत्र व्यवहार का पता ____________________

____

3. भुगतान पद्धति : नकद / किराया क्रय ____________________

4. आय वर्ग ____________________

5. बैंक डीडी नं.. ____________________

बैंक का नाम : ____________________

दिनांक ____________________

6. पंजीकरण राशि (अंको में) ____________________

(शब्दों में) ____________________

____

दिनांक :..................................

स्थान :..................................

आवेदक के हस्ताक्षर

राजस्थान आवासन मण्डल

पंजीकरण हेतु आवेदन फार्म

क्रमांक सं.

आवेदक द्वारा भरा जावे

आवेदक का नवीनतम फोटो

मण्डल कार्मिकों हेतु विशिष्ट पंजीकरण योजना वर्ष 2021

पटेल नगर एक्सटेंशन योजना, भीलवाड़ा

(पंजीकरण योजना–2021)

मध्यम आय वर्ग 'अ' के 26, मध्यम आय वर्ग 'ब' के 57, उच्च आय वर्ग के 56

स्वतंत्र आवासों हेतु आवेदन पत्र

1.	क्रमांक नं. / लोट नम्बर		
2.	आवेदक पत्र क्रमांक		
3.	आवेदक/आवेदिका का नाम		
4.	आवेदक के पिता / पति का नाम		
5.	जन्म तिथि		
6.	राष्ट्रीयता		
6.	आवेदक की पहचान का प्रमाण (सत्यापित छाया प्रति संलग्न करे)		
		पेनकार्ड नम्बर	
		आधार कार्ड नम्बर	
		पासपोर्ट नम्बर	
		ड्राइविंग लाईसेन्स नम्बर	
		वोटर आईडी कार्ड नम्बर	
7.	व्यवसाय का स्वरूप इंगित करे	वैतनिक ☐	
8.	स्थाई पत्र व्यवहार का पता		
	दूरभाष नं. व मोबाईल नम्बर		
9.	अस्थाई पत्र व्यवहार का पता		
10.	आय का विवरण		
		स्वयं की आय	
		पत्नी / पति की आय	
		आश्रित की आय	
		कुल आय	
11 (अ)	वर्तमान व पूर्व मण्डल में प्रस्तुत आवेदन पत्र के सापेक्ष पंजीकरण की स्थिति	प्रथम / द्वितीय /तृतीय (कृपया ✓ का निशान लगायें)	
(ब)	आवेदक यदि पूर्व में पंजीकृत है तो उसका विवरण।	पंजीकरण वर्ष	
		श्रेणी व भुगतान पद्धति	
		वरीयता क्रमांक	
12	श्रेणी	वर्ग	
13.	भुगतान पद्धति	किराया क्रय ☐	नगद भुगतान ☐
14.	पुरस्कृत/पदक प्राप्त, विकलांग		
15.	आवेदक के आवास हेतु वरीयता लॉटरी में असफल होने की दशा बैंक के माध्यम से रिफण्ड राशि सीधे ही आवेदक के खाते में भिजवाने हेतु निम्नांकित सूचना आवश्यक – रूप से दी जावे साथ ही आवेदक उक्त बैंक खाते का एक निरस्त किया हुआ चैक संलग्न करेगे ।:– आई.एफ.एस.सी. कोड (सम्पूर्ण)................................ खाता संख्या (सम्पूर्ण).. .... खाते का प्रकार (बचत/चालू/एन.आर.आई):.. बैंक/शाखा का पताः.. मोबाइल नम्बर..		

राजस्थान आवासन मण्डल

पंजीकरण हेतु आवेदन फार्म

आवेदन क्रमांक

मण्डल कार्मिकों हेतु विशिष्ट पंजीकरण योजना वर्ष 2021 पटेल नगर एक्सटेंशन योजना, भीलवाड़ा

मध्यम आय वर्ग 'अ' के 26, मध्यम आय वर्ग 'ब' के 57, उच्च आय वर्ग के 56

स्वतंत्र आवासों हेतु आवेदन पत्र

श्री/श्रीमती .... से ....वर्ग हेतु........................

.... योजना के अन्तर्गत ऊपर वर्णित क्रमांक का आवेदन पत्र प्राप्त किया।

मय बैंक ड्राफ्ट संख्या......................दिनांक..............बैंक का नाम..

शाखा..

(उपरोक्त समस्त पूर्तियाँ आवेदक स्वयं करें)

हस्ताक्षर प्राप्तकर्ता

16	संलग्न :
	(i) स्वयं की पहचान का फोटोयुक्त दस्तावेज (ii) पैन नम्बर (लागू हो तो) और भारतीय विशिष्ट पहचान पत्र नम्बर (यदि हो तो) (iii) आधार कार्ड (iv) पते का प्रमाण–पत्र / मूल निवास प्रमाण–पत्र। (v) आय का प्रमाण पत्र / आयकर विवरणिका। (vi) पूर्व पंजीकरण से संबंधित प्रमाण प्रपत्र (यदि कोई हो) (vii) पंजीकरण राशि का बैंक ड्राफ्ट (viii) श्रेणी विशेष का प्रमाण पत्र (ix) स्वयं अथवा पति–पत्नि अथवा आश्रितों के नाम कोई भूमि / भवन न होने संबंधी शपथ पत्र। (x) अन्य वांछित प्रमापण पत्र / शपथ पत्र।
17	घोषणा :–
	1. मैं इसके द्वारा घोषणा करता / करती हूँ कि उपरोक्त सूचना मेरे सर्वोत्तम ज्ञान में सही है और कुछ भी छुपाया नहीं गया है।
	2. मैं इसके द्वारा घोषणा करता / करती हूँ कि मैंने इस आवेदन प्रपत्र के साथ किये गये पंजीकरण के अनुबन्धों एवं शर्तो को सावधानी पूर्वक पढ़ लिया तथा समझ लिया है और मैं उनका पालन किये जाने के लिए सहमत हूँ।
	3. मेरा आवेदन स्वीकार होने पर मैं आवासन मण्डल द्वारा समय समय पर मांग की गई राशियां जमा नहीं कराता हूं तो आवासन मण्डल बिना किसी सूचना के मेरा पंजीकरण / आवंटन निरस्त करने के लिए स्वतंत्र होगा, जिसके लिए मैं स्वयं जिम्मेदार रहूंगा।
	4 आवास का कब्जा प्राप्त किए जाने के पश्चात् आवास में होने वाली टूट फूट इत्यादि हेतु समस्त जिम्मेदारी मेरी होगी।
	5 मेरी मृत्यु होने की दशा में, मैं निम्नलिखित व्यक्तियों को अधिमानक्रम में नाम निर्देशित करता/करती हूँ:–

क्र.सं.	नाम	आयु	संबंध
प्रथम			
द्वितीय			
तृतीय			

18.	ड्राफ्ट 'राजस्थान आवासन मण्डल भीलवाड़ा' के नाम बनाया जायेगा।

सत्यापित
(नोटरी पब्लिक/राजपत्रित अधिकारी)
मुहर के साथ

आवेदक के हस्ताक्षर
स्थान...
दिनांक ....

PATEL NAGAR EXTN. SCHEME, BHILWARA

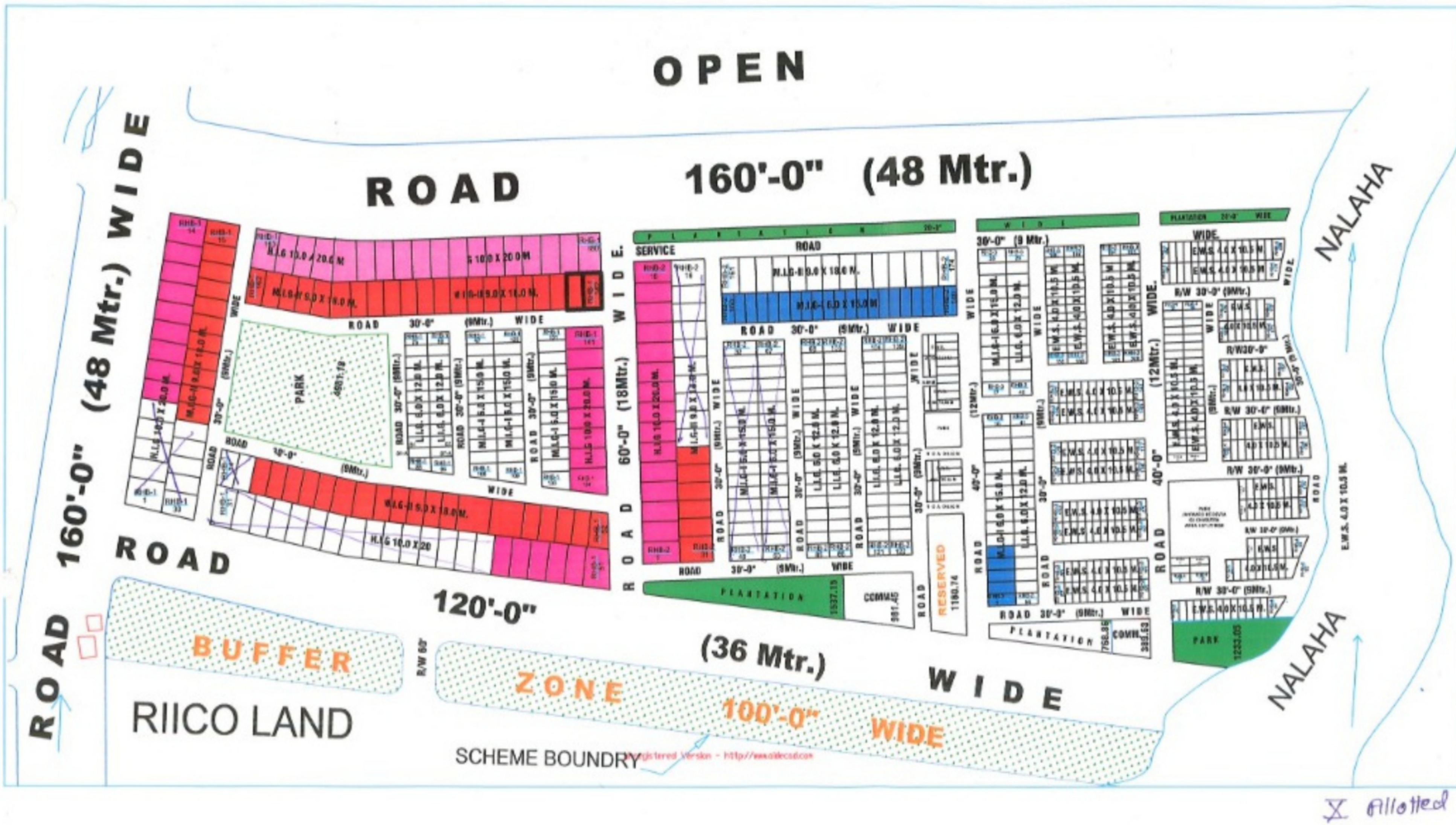

आवासन मण्डल की योजनाओं के अन्तर्गत मकान प्राप्ति से विशेष लाभ

- मण्डल द्वारा निर्मित मकान खरीदने का निर्णय लेते ही आपके धन, समय व श्रम की बचत होती है और मकान बनाने के लिए आपको अलग से भूखण्ड खरीदने तथा उपकरण जुटाने की परेशान में पड़ने की आवश्यकता नहीं होती।
- मकान के लिये एक साथ पैसा जुटाने की आवश्यकता नहीं होगी। मण्डल के मकान के लिये आप निर्धारित किश्तें देते रहे तो कुछ ही वर्षों में मकान आपका हो जायेगा।
- मण्डल द्वारा निर्मित मकानों को डिजाइन अनुभवी अभियन्ताओं/वास्तुकार द्वारा बनाया जाता है जिससे मकान में न केवल समस्त आवश्यक सुविधायें उपलब्ध होती है बल्कि स्वच्छ वातावरण में रहने का लाभ भी प्राप्त होता है।
- मण्डल का मकान खरीदने का अर्थ होगा, सही तर्क संगत मूल्य में वैज्ञानिक ढंग से विकसित कॉलोनी में उद्यान, स्कूल, दुकानों से युक्त साफ स्वस्थ और आकर्षक पर्यावरण का आवास।
- मण्डल बिना लाभ बिना हानि के सिद्धान्त पर चलता है तथा बड़े पैमाने पर भवन निर्माण का कार्य करता है। अतः निर्विवाद रूप से मंडल के मकान सस्ते पड़ते है।

राजस्थान आवासन मण्डल

'आवास भवन' जनपथ, ज्योति नगर, जयपुर

फोन : 0141-2740812, 2440113, 2740614

E-mail : rhbbhilwara@gmail.com • Website : www.urban.rajasthan.gov.in/rhb